

(भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

ईफा. सं. 6/3/2011-बीओ-I

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

25 फरवरी, 2022

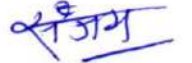
नई दिल्ली, दिनांक -----

6 फाल्गुन, 1943 (शक)

अधिसूचना

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को उक्त सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के स्थान पर कालम (1) में विनिर्दिष्ट बैंकों में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश होने तक, निदेशक नामित करती है:

क्र. सं.	बैंक का नाम	वर्तमान निदेशक का नाम	प्रस्तावित व्यक्ति का नाम
	(1)	(2)	(3)
1.	पंजाब नेशनल बैंक	श्री विवेक अग्रवाल	श्री अनिल कुमार मिश्रा (जन्म तिथि: 21.7.1958)
2.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	श्री दीपक कुमार	श्री विवेक अग्रवाल (जन्म तिथि: 7.8.1963)



(संजय कुमार मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र

रिंग रोड, नई दिल्ली